कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–स/बाल संरक्षण (18)/2016/337 दिनांक : 09.03.2022

परिपत्र

शिक्षक और विद्यार्थी अपने दिन का एक बडा समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि भवन, परिसर, प्रवेश द्वार और आसपास के परिवेश सहित विद्यालय के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण का अनुभव विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित एवं सम्मानपूर्ण होना चाहिए। जिससे विद्यार्थी भयमुक्त वातावरण में विद्यालय के लक्ष्य "विद्यार्थी का सर्वांगीण व गुणवत्तापूर्ण विकास" को प्राप्त कर सके।

शालाओं में मुख्यतः यह शिक्षा दी जानी चाहिये कि "मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्" अर्थात् "पराई स्त्री को माँ की तरह समझे तथा पराये धन को चोरे हुये धन की तरह" तभी नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी। अध्यापकों को विशेष तौर पर स्वयं को एवं विद्यार्थियों को ये समझना और समझाना चाहिये। यदि इसके बावजूद कोई बालक/बालिका के प्रति अपराध करता है तो उस पर इस परिपत्र के अनुसार कार्यवाही करते हुये सख्य सजा भी दी जावें।

बहुत बार समाचार पत्रों में विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के साथ दुराचार, अनाचार एवं दुर्व्यवहार की घटनाओं का प्रकाशन देखने में आता है जो कि गंभीर चिंता का विषय है। समाज का महत्वपूर्ण स्तम्भ होने के नाते विद्यालय का दायित्व है कि विद्यार्थियों में नैतिक व्यवहार का विकास हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी को विद्यालय में भयमुक्त एवं सुरक्षित सीखने का वातावरण एवं अवसर प्राप्त हो।

राज्य के समस्त विद्यालयों में बाल उत्पीड़न एवं बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं फील्ड स्तर पर समुचित मोनिटरिंग हेतु कार्यालय के समसंख्यक पत्र दि. 18.05.2017, 22.09.2017 एवं 16.03.2021 की निरन्तरता में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. **विद्यालय का सुरक्षित मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक वातावरण** :

- शिक्षण एवं अध्ययन में समन्वय के लिए आवश्यक होता है कि विद्यार्थी, शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टि से स्वस्थ हो, इसके लिए विद्यालय का वातावरण विद्यार्थी के लिए प्रसन्नतादायक, भयमुक्त हो तथा उन्हें अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर मिलें।
- विद्यार्थी के लिए विद्यालय का वातावरण भयमुक्त हो, उन्हें अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। इस हेतु निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–
  - ➢ शिक्षकों को विद्यार्थी की सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों से भिज्ञ होना चाहिए, जिससे वह उसके व्यवहार के प्रति संवेदनशील हो सके।
  - ➢ विद्यालय में कक्षाध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की विस्तृत प्रोफाईल तैयार की जाये जिसमें उनकी सामाजिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो ताकि शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं/संवेगों व आवश्यकताओं के बारे में विशिष्ट जानकारी रख सके।
  - ➢ प्रत्येक विद्यार्थी के दैनिक व्यवहार पर शिक्षकों द्वारा सूक्ष्मतः ध्यान रखा जाये। विद्यार्थी के व्यवहार में आकस्मिक असहजता नजर आते ही, व्यवहार का विश्लेषण कर संभावित कठिनाई के निराकरण हेतु प्रयास किया जायें। आवश्यकतानुसार अभिभावकों से नियमित सम्पर्क किया जाये।
  - ➢ विद्यालय में शारीरिक एवं मानसिक दण्ड़ पूर्णतः वर्जित हो।
  - ➢ परिसर के एकांत स्थान पर विद्यार्थी के अकेले जाने के संबंध में शिक्षक द्वारा ध्यान रखा जाये। यथा संभव शौचालय, पेयजल स्थान सूने/एकांत स्थान पर ना हो वरन, ऐसे स्थान पर हो, जहां पर आने–जाने वालों पर निगरानी रखी जा सके।
  - ➢ परिसर के एकांत स्थान तथा शौचालयों के पास पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जायें। शौचालय विद्यालय परिसर के भीतर स्थित हो, छात्र व छात्राओं, स्टॉफ, सपोर्ट व आगंतुकों के लिए के लिए पृथक–पृथक तथा पर्याप्त दूरी पर शौचालय/मूत्रालय होना सुनिश्चित किया जाये।

2. **अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर तथा शिकायत हेतु सहज प्लेटफार्म – गरिमा पेटी**

विद्यार्थी एवं शिक्षक के संबंध ऐसे हो कि वह अपनी कठिनाई, परेशानी, समस्या अथवा प्रसन्नता शिक्षक के साथ साझा कर सके। यदि वह किसी कारण से अपनी शिकायत में अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते तब भी वे अपनी दुविधा/समस्या को सहजता से प्रस्तुत कर सके। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में सुलभ स्थान पर शिकायत पेटी (गरिमा पेटी) की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायें।

- विद्यार्थी अथवा अभिभावक, कई बार विद्यार्थी के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत करने में शंका रखतें है। ऐसे में उन्हें बिना नाम उल्लेख किए हुए शिकायत संस्थाप्रधान तक पहुचांने के लिए विद्यालय में शिकायत पेटिका (गरिमा पेटी) सुलभ स्थान पर स्थापित की जाए।
- यह गरिमा पेटी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की आसान पहुँच में होनी चाहिए।
- प्रत्येक सप्ताह अथवा कभी–कभी आकस्मिक रूप से बीट कान्सटेबल, एक मनोनीत महिला शिक्षिका (महिला शिक्षिका न होने पर विद्यालयके वरिष्ठतम शिक्षक) की उपस्थिति में संस्था प्रधान द्वारा उक्त पेटिका खोली जाए।
- शिकायत के आधार पर तत्काल जांच की आशंकित घटनाओं को रोकने की व्यवस्था कराई जाने हेतु कार्यवाही हो।
- प्रार्थना सभा में गारिमा पेटी की जानकारी दी जाए, जिससे विद्यार्थियों के मध्य विश्वास स्थापित हो सके।
- विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालक/बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित, संरक्षित एवं सर्वांगीण विकासोन्मुख वातावरण में शिक्षा की उपलब्धता विद्यालय की जिम्मेदारी है।

3. **अतिरिक्त आवश्यक बिन्दु :–**

- विद्यालय में लैंगिक असमानता एवं छेड़–छाड़ की किसी भी प्रकार की घटना अथवा घटना की आशंका को हल्के में न लेकर तुरन्त इसे रोकने की कार्यवाही तथा वांछित अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायें।
- यदि इस प्रकार की घटना/सूचना किसी भी स्त्रोत से प्राप्त होने के उपरांत भी यदि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अविलम्ब प्रकरण के अनुक्रम में वांछित कार्यवाही नहीं की जाती है/प्रकरणों को दबाने अथवा दबाव डाल कर लीपापोती की चेष्टा की जाती है, तो ऐसे संबंधित विभागीय अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेंगी।
- विद्यालय से लेकर संभाग स्तरीय कार्यालय (प्रधानाचार्य/एच.एम./सीबीईओ/जि.शि.अ/संयुक्त निदेशक) तक के प्रत्येक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि समस्त विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु समय–समय पर जारी संबंधित परिपत्रों/निर्देशों का अध्ययन कर दिये गये निर्देशों की अविलम्ब अनुपालना करावें।
- राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, समग्र शिक्षा, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और बाल संरक्षण आयोग द्वारा आयोज्य विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में जेन्डर सेन्सेटाइजेशन के सत्र आवश्यक रूप से और पूर्ण संवेदनशीलता के साथ रखा जायें।
- इस प्रकार के प्रकरणों में विद्यार्थियों को मेडिकल सहायता/विधिक सहायता/काउंसलिंग करते हुए पढाई जारी रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही सक्षम स्तर पर सुनिश्चित की जायें।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय बच्चों को उनके अधिकारों के संबंध में कानूनी प्रावधानों यथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम–2015, बाल श्रम निषेध नियम अधिनियम–1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम–2000 तथा चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 के संबंध में उचित पाठ/अध्यायों का समावेश करवाया जायें।

4. **बाल उत्पीड़न एवं बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विद्यालय समितियों का गठन :**

- उक्त प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु जिला, ब्लॉक, पीईईओ/यूसीईईओ तथा प्रत्येक विद्यालय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन अग्रांकित विवरणानुसार किया जाएगा तथा इन समितियों का स्वरूप तथा कार्य निम्नानुसार होगा :–

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

i. **जिला स्तरीय समिति** :–जिला स्तर की समिति की माह में एक बार बैठक होगी। इस बैठक में इस बाबत् प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण तथा पूर्व की शिकायतों का पृष्ठपोषण लेकर संबंधित से सम्पर्क कर पूर्ण निराकरण किया जाना सुनिश्चित करवाया जायेगा।

अध्यक्ष–मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
सचिव– सहायक निदेशक
सदस्य– जिला मुख्यालय पर स्थित विद्यालय में कार्यरत सुविज्ञ महिला प्रधानाचार्य
सदस्य– जिले में कार्यरत सुविज्ञ महिला व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापिका

जिला शिक्षा अधिकारी उक्त समिति में सदस्यों को मनोनीत करेंगें।

ii. **ब्लॉक स्तरीय समिति** :–ब्लॉक स्तर की समिति की माह में एक बार बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीईईओ/यूसीईईओ से इस बाबत् प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण तथा पूर्व की शिकायतों का पृष्ठपोषण लेकर संबंधित से सम्पर्क कर पूर्ण निराकरण एवं बैठक में लिए गए निर्णयों से जिला स्तर की समिति को अवगत करवाएगें।

अध्यक्ष–ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
सचिव–अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – द्वितीय
सदस्य–ब्लॉक के अधीनस्थ विद्यालयमें कार्यरत सुविज्ञ महिला संस्था प्रधान
सदस्य– ब्लॉक के अधीनस्थ विद्यालय में कार्यरत सुविज्ञ महिला व्याख्याता/ वरिष्ठ अध्यापिका/अध्यापिका
सदस्य–गैर शैक्षणिक वर्ग की महिला/पुरूष

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उक्त समिति में सदस्यों को मनोनीत करेंगें।

iii. **पीईईओ/यूसीईईओ स्तरीय समिति**:– पीईईओ/यूसीईईओ स्तर की समिति की माह में एक बार बैठक होगी। इस बैठक में संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों से इस बाबत् प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण तथा पूर्व की शिकायतों का पृष्ठपोषण लेकर संबंधित से सम्पर्क कर पूर्ण निराकरण करवाना सुनिश्चित करेंगें एवं बैठक में लिए गए निर्णयों से ब्लॉक स्तर की समिति को अवगत करवाएगें।

अध्यक्ष – पीईईओ/यूसीईईओ
सदस्य सचिव– पीईईओ/यूसीईईओ परिक्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठतम महिला व्याख्याता/व.अ./शिक्षिका
सदस्य – पीईईओ/यूसीईईओ क्षेत्र के समस्त संस्था प्रधान
सदस्य – पीईईओ/यूसीईईओ क्षेत्र के दो अभिभावक प्रतिनिधि जिसमें न्यूनतम एक महिला हो

पीईईओ/यूसीईईओ उक्त समिति में सदस्यों को मनोनीत करेंगें।

iv. **विद्यालय स्तरीय समिति** :–विद्यालय स्तर की समिति की माह में एक बार बैठक होगी। इस बैठक में संस्था प्रधान विद्यालय से सम्बन्धित इस बाबत् प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण तथा पूर्व की शिकायतों का पृष्ठपोषण लेकर संबंधित से सम्पर्क कर पूर्ण निराकरण करेंगें तथा पीईईओ/यूसीईईओ स्तरीय समिति की बैठक से पूर्व उसे सूचना प्रेषित करेंगें।

अध्यक्ष–संस्था प्रधान
सचिव–वरिष्ठतम महिला व्याख्याता/व.अ./अध्यापिका
सदस्य–एक अन्य शिक्षक/शिक्षिका
सदस्य–उच्चतम कक्षा का एक छात्र
सदस्य–उच्चतम कक्षा की एक छात्रा
सदस्य–दो अभिभावक प्रतिनिधि जिसमें न्यूनतम एक महिला हो

संस्था प्रधान उक्त समिति में सदस्यों को मनोनीत करेगें।

5. **<u>बाल उत्पीड़न एवं बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं के प्रभावी प्रबोधन हेतु दायित्व निर्धारण :</u>** विद्यालय में अनाचार की घटनाओं को रोकने हेतु समस्त अधिकारी एवं कार्मिक निम्नानुसार दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रभावी प्रबोधन करेंगे–

Rajasthan Education Department

➢ **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्वः–**

i. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उक्त प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में जिला स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे।

ii. इस प्रकार की घटनाओं के क्रम में नियमानुसार वांछित कार्यवाही सक्षम स्तर से अविलम्ब होवे तथा समस्त जारी विभागीय निर्देशों की अनुपालना समयबद्ध रूप से होवे, इस हेतु जिला स्तर पर उत्तरदायी अधिकारी होंगें।

iii. अधीनस्थ सहायक निदेशक उक्त कार्य हेतु सीडीईओ कार्यालय में प्रभारी अधिकारी के रूप में दायित्वबद्ध होंगे।

iv. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ब्लॉक, पीईईओ/यूसीईईओ तथा विद्यालय स्तर पर समितियों का आवश्यक रूप से गठन इस परिपत्र के जारी होने की एक माह की समयावधि में हो जाए तथा वे उनकी बैठकों की नियमितता को सुनिश्चित करेंगे।

v. जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह के आखिरी कार्यदिवस पर आयोजित करेंगे तथा ब्लॉक से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर उन पर की जाने वाली कार्यवाही का प्रबोधन करेंगे एवं बैठक का कार्यवाही विवरण पंजिका में नियमित रूप से संधारित करेंगें।

vi. अपने क्षेत्राधिकार में इस तरह की घटनाओं पर नजर रखेंगे तथा सूचना मिलते ही तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगें एवं प्राथमिक जांच रिपोर्ट सम्प्रेषित करेंगें। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी घटना की गंभीरता एवं प्रकृति के अनुसार आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार विभागीय स्तर पर कार्यवाही के साथ–साथ निकटतम पुलिस थाने में लिखित में सूचना सम्प्रेषित करवाना सुनिश्चित करेंगें।

vii. अपने क्षेत्राधिकार में भ्रमण के दौरान विद्यालयों में गठित समिति के कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करेंगे तथा अधीनस्थों को वांछित सम्बलन प्रदान करेंगे।

viii. यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय में उचित स्थान पर चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर (1098) अंकित है अथवा नहीं।

ix. प्रत्येक विद्यालय में शिकायत पेटिका की उपलब्धता तथा उसमें प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का भी अवलोकन करेंगे तथा अपेक्षित कार्यवाही की सुनिश्चितता हेतु वांछित निर्देश प्रदान करेंगे।

परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अपने अध्ययधीन समस्त विद्यालयों की प्रत्येक माह ब्लॉकवार समेकित सूचना अपने उच्चाधिकारियों को सम्प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

➢ **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्वः–**

i. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उक्त प्रकार की घटनाओं हेतु ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे।

ii. अधीनस्थ एसीबीईओ–II उक्त कार्य हेतु सीबीईओ कार्यालय में प्रभारी अधिकारी के रूप में दायित्वबद्ध होंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पीईईओ/यूसीईईओ तथा विद्यालयस्तर पर समितियों का विधिवत रूप से गठन हो तथा इसी के साथ उनकी बैठकों की नियमितता को भी सुनिश्चित करेंगे।

iii. ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस पर आयोजित करेंगे तथा पीईईओ/यूसीईईओ तथा विद्यालयस्तर से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर उन पर की जाने वाली कार्यवाही का प्रबोधन करेंगे एवं बैठक की कार्यवाही विवरण पंजिका नियमित रूप से संधारित करेंगें।

iv. अपने क्षेत्राधिकार में इस तरह की घटनाओं पर नजर रखेंगे तथा सूचना मिलते ही तत्काल संबंधित संस्थाप्रधान/यूसीईईओं /पीईईओ से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे।

v. अपने क्षेत्राधिकार में इस तरह की घटनाओं पर नजर रखेंगे तथा सूचना मिलते ही तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगें एवं प्राथमिक जांच रिपोर्ट सम्प्रेषित करेंगें।

vi. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घटना की गंभीरता एवं प्रकृति के अनुसार आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार विभागीय स्तर पर कार्यवाही के साथ–साथ निकटतम पुलिस थाने में लिखित में सूचना सम्प्रेषित करवाना सुनिश्चित करेंगें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

vii. अपने क्षेत्राधिकार में भ्रमण के दौरान विद्यालयों में गठित समिति के कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करेंगे तथा अधीनस्थों को वांछित सम्बलन प्रदान करेंगे।

viii. यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय में उचित स्थान पर चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर (1098) अंकित है अथवा नहीं।

ix. प्रत्येक विद्यालय में शिकायत पेटिका की उपलब्धता तथा उसमें प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का भी अवलोकन करेंगे तथा अपेक्षित कार्यवाही की सुनिश्चितता हेतु वांछित निर्देश प्रदान करेंगे।

x. परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अपने अध्ययधीन आने वाले समस्त विद्यालयों की प्रत्येक माह पीईईओ/यूसीईईओवार समेकित सूचना अपने उच्चाधिकारियों को सम्प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

➢ **पीईईओ/यूसीईईओ के दायित्वः–**

i. पीईईओ/यूसीईईओ अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेंगे तथा पीईईओ/यूसीईईओ स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन करेंगे।

ii. पीईईओ/यूसीईईओ स्तरीय समिति की माह के दूसरे सप्ताह में अन्तिम कार्यदिवस को इस समिति की बैठक आयोजित की जायेगी तथा विद्यालयस्तर से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर उन पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय करवाया जाकर सम्बन्धितों को प्रबोधन हेतु पाबन्द करेंगें एवं बैठक की कार्यवाही विवरण पंजिका नियमित रूप से संधारित करेंगें।

iii. पीईईओ/यूसीईईओ अपने अधीन विद्यालयों से उक्त प्रकार की घटनाओं के प्रति पूर्णतः सजग रहेंगे तथा घटना के बारे में सूचना मिलते ही संज्ञान लेते हुए आवश्यकतानुसार वांछित कार्यवाही तत्काल संपादित करेंगे तथा संबंधित सीबीईओ को सूचित करेंगे।

iv. अपने क्षेत्राधिकार में इस तरह की घटनाओं पर नजर रखेंगे तथा सूचना मिलते ही तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगें एवं प्राथमिक जांच रिपोर्ट सम्प्रेषित करेंगें। पीईईओ/यूसीईईओ घटना की गंभीरता एवं प्रकृति के अनुसार आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार विभागीय स्तर पर कार्यवाही के साथ–साथ निकटतम पुलिस थाने में लिखित में सूचना सम्प्रेषित करवाना सुनिश्चित करेंगें।

v. अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक विद्यालय में गठित समिति के कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करेंगे तथा अधीनस्थ संस्था प्रधानों को वांछित सम्बलन प्रदान करेंगे।

vi. यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय में उचित स्थान पर चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर (1098) अंकित है अथवा नहीं।

vii. प्रत्येक विद्यालय में शिकायत पेटिका की उपलब्धता तथा उसमें प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का भी अवलोकन करेंगे तथा अपेक्षित कार्यवाही की सुनिश्चितता हेतु निर्देश प्रदान करेंगे।

viii. परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अपने अध्ययधीन आने वाले समस्त विद्यालयों की प्रत्येक माह संस्थावार समेकित सूचना अपने उच्चाधिकारियों को सम्प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

ix. ऐसी दुर्व्यवहार की घटना घटित होने के उपरान्त अन्य दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त दुर्व्यवहार से पीड़ित विद्यार्थी को मानसिक अवसाद से बाहर निकालने के लिये उसकी कॉउन्सलिंग की जानी आवश्यक होती है। पीईईओ स्वयं अथवा परिक्षेत्र के दक्ष शिक्षक की सहायता से सम्बन्धित विद्यार्थी के मन से भय और अवसाद दूर करने हेतु अतिरिक्त समय देकर उसे सामान्य व्यवहार तक लाने का प्रयास करेंगें।

x. ऐसे विद्यार्थी को यदि अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता भी हो तो भी उसे अध्ययन की निरन्तरता हेतु अतिरिक्त वैयक्तिक कक्षाएं उपलब्ध कराई जाए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रेरक पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी उचित रहेगी।

xi. विद्यार्थी अपनी हॉबी के प्रति बहुत संवेदनशील होते है अतः अवसाद को दूर करने के लिए हॉबी (जैसे संगीत, लेखन, खेलकूद, चित्रकला इत्यादि) को एक थैरेपी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अतः इस समय में उसे अधिकाधिक अपनी हॉबी से साथ जोड़ना भी उसमें विश्वास उत्पन्न करने में बेहतर भूमिका निभाएगा।

➢ **संस्था प्रधान के दायित्व :–**

i. संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर अनाचार की घटनाओं को रोकने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। उक्त सम्बन्ध में प्रभावी क्रियान्विति हेतु वे विद्यालय के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेंगे।

ii. विद्यालय स्तरीय समिति माह के प्रथम सप्ताह के अन्तिम कार्यदिवस को इस समिति की बैठक आयोजित करेंगे।

iii. विद्यालय में कार्यरत् समस्त कार्मिकों, शिक्षकों, एसडीएमसी व एसएमसी के सदस्यों को **"लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012"** की कतिपय धाराओं यथा धारा–19(i) एवं 21 में निहित प्रावधान, जो समस्त कार्मिकों को दायित्वबद्ध करते हैं कि बाल/यौन प्रताड़ना से सम्बन्धित घटनाओं पर तत्काल प्रसंज्ञान लिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाए, की अवगति प्रदान करवाते हुए प्रत्येक स्तर पर इसकी सख्ती से पालना हेतु पाबन्द किया जाये।

iv. विद्यालयों में गुड–टच, बेड–टच की जानकारी देने हेतु पेम्फलेट, प्रश्नोत्तरी, कविता, लघु नाटक, पोस्टर व कहानी इत्यादि के माध्यम से क्षेत्रीय शालीन भाषा में कार्यक्रम आयोजित किए जायें। साथ ही विद्यालय में होने वाली बाल सभाओं में भी इस विषय पर जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करावें।

v. संस्था प्रधान हैड बॉय और हैड गर्ल को इस कार्य हेतु प्रशिक्षित करेंगे तथा इनके माध्यम से अन्य विद्यार्थियों को गुड–टच, बेड–टच की जानकारी देने का कार्य करेंगे एवं किये गये कार्यो का रिकॉर्ड संधारित करेंगें जिसे भ्रमण के दौरान उच्चाधिकारियों के द्वारा अवलोकित किया जा सकेगा।

vi. विद्यालय में अगर विद्यार्थी विद्यालय बस अथवा ऑटो से आता है, तो इसका रिकॉर्ड विद्यालय में रखा जाये। बस एवं ऑटो तथा उनके चालक/परिचालक का पुलिस सत्यापन कराया जाये। इसी प्रकार विद्यालय में कार्य कर रहे कार्मिकों/संविदा या निविदा पर कार्यरत कार्मिकों का भी सत्यापन कराया जाये तथा उनका पहचान पत्र सदैव उनके साथ रहे एवं उसका संधारण भी हो।

vii. अनजान/संदिग्ध नजर आने वाले व्यक्ति के विद्यालय परिसर में देखे जाने पर उससे तत्काल पूछताछ कर पुष्टि की जाये।

viii. विद्यार्थियों को उनके शरीर एवं अंगों के विकास के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी जाये।

ix. विद्यालय की प्रार्थना सभा नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों के लिये उर्वरा होती है। अतः प्रार्थना सभा में नैतिक एवं अनुकरणीय कथन/कथा एवं प्रेरक जीवनियों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाये जो व्यवहारिक हो एवं वर्तमान परिस्थितियों से जुडे हुये हो।

x. स्थानीय परिवेश में विद्यार्थियों के सम्बन्ध में घटित होने वाली अच्छी–बुरी घटनाओं से विद्यार्थी आवश्यक रूप से परिचित हों, परन्तु यह ध्यान रखा जावे कि इसका उद्देश्य भय पैदा करना न हो वरन् विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करना हो।

xi. प्रत्येक अभिभावक का दूरभाष नम्बर उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के साथ अंकित हो। विशेष परिस्थिति में माता–पिता के स्थान पर अन्य अभिभावक का दूरभाष नम्बर हो सकता है, जिसका कारण सुस्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

xii. विद्यालयों में होने वाली अध्यापक–अभिभावक बैठक (पी.टी.एम.) में अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को बच्चों की सूक्ष्म गतिविधियों एवं उनके स्वभाव पर नजर रखने, पड़ोसियों एवं रिश्तेदारों से बाल उत्पीडन से सावधान रहने के संबंध में समझाया जाये।

xiii. विद्यालय के कक्षा–कक्षों में सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं एवं किशोर बालक–बालिकाओं के मध्य स्वास्थ्य व स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न करने एवं उन्हें गुड टच–बेड टच तथा राज्य बाल संरक्षण आयोग, बाल कल्याण समिति, पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाये।

xiv. यथासम्भव विद्यालय परिसर में आवश्यकतानुसार चिन्हित स्थानों पर लिखित चेतावनी "आप कैमरे की नज़र में है" सहित CCTV कैमरे लगवाए जाये। विद्यालय परिसर में एक शिकायत पेटिका अत्यावश्यक रूप से लगवाई जाए तथा उसे विद्यालयस्तरीय निगरानी समिति की बैठक से पूर्व समस्त सदस्यों के समक्ष खोला जाये तथा उसमें प्राप्त शिकायतों पर वांछित कार्यवाही करते हुए उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाये।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

xv. विद्यालय में लगायी गई शिकायत पेटिका/गरिमा पेटिका पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 22.11.2021 में दिये निर्देशानुसार "चुप्पी तोड़ो–हमसे कहो" का पोस्टर आवश्यक रूप से लगाना सुनिश्चित करें।

xvi. विद्यालय के सूचना पट्ट तथा सुदृश्य स्थानों पर **"चाईल्ड हेल्प लाईन"** से सम्बन्धित दूरभाष : 1098 का स्पष्ट अंकन किया जाए तथा इस बारे में समस्त विद्यार्थियों को जानकारी दी जाये।

xvii. विद्यालय में उत्तरदायी भूमिका में निबद्ध कार्मिकों द्वारा इस तरह के अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर सम्बन्धित पक्ष/व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाये।

xviii. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन शिक्षण हेतु कम्प्यूटर/लेपटॉप/मोबाईल फोन आदि उपयोग में लिये जा रहे हैं जिससे इन्टरनेट एवं सोशल मिडिया से उनका निरन्तर सम्पर्क होता रहता है। कम उम्र के बच्चे सही एवं गलत के ज्ञान के अभाव में कई बार डिजीटल संसाधनों के अनुचित प्रयोग करने अथवा इनके कारण किसी उत्पीडन का शिकार हो सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा में डिजीटल माध्यमों के अनुचित प्रयोग के दुष्प्रभाव एवं तत्संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जावे एवं अभिभावकों को भी बच्चों द्वारा डिजीटल संसाधनों के प्रयोग पर सूक्ष्म निगरानी रखने की सलाह दी जाये एवं उन्हें इस क्रम में जागरूक किया जाये।

xix. यूथ क्लब को विद्यालय में ज्यादा प्रभावी बनाया जाये जिससे बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्म विश्वास विकसित हो तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकार दूर हो एवं सोच में लचीलापन आये।

xx. ऐसी दुर्व्यवहार की घटना घटित होने के उपरान्त अन्य दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त दुर्व्यवहार से पीड़ित विद्यार्थी को मानसिक अवसाद से बाहर निकालने के लिये उसकी कॉउन्सलिंग की जानी आवश्यक होती है। पीईईओ स्वयं अथवा परिक्षेत्र की दक्ष शिक्षक की सहायता से सम्बन्धित विद्यार्थी के मन से भय और अवसाद दूर करने हेतु अतिरिक्त समय देकर उसे सामान्य व्यवहार तक लाने का प्रयास करेंगें।

xxi. ऐसे विद्यार्थी को यदि अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता हो तो भी उसे अध्ययन की निरन्तरता हेतु अतिरिक्त वैयक्तिक कक्षाएं उपलब्ध कराई जाए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रेरक पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी उचित रहेगी।

xxii. विद्यार्थी अपनी हॉबी के प्रति बहुत संवेदनशील होते है अतः अवसाद को दूर करने के लिए हॉबी (जैसे संगीत, लेखन, खेलकूद, चित्रकला इत्यादि) को एक थैरेपी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अतः इस समय में उसे अधिकाधिक अपनी हॉबी से साथ जोड़ना भी उसमें विश्वास उत्पन्न करने में बेहतर भूमिका निभाएगा।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

➢ **शिक्षकों के दायित्व :–**

i. शिक्षक विद्यार्थियों के साथ आत्मीय संबंध रखें तथा उन्हें अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करें।

ii. विद्यार्थियों की किशोरावस्था एवं संवेगात्मक संबंधी समस्याओं का निराकरण शालीनता से करें।

iii. कक्षाध्यापक विद्यालय के प्रारंभ, मध्याह्न एवं समापन पर यह पुष्ट करें कि कक्षा में विद्यार्थी अकेला तो नहीं है।

iv. विद्यार्थी अन्तराल अवधि में ही लघु शंका हेतु जाये। इससे अतिरिक्त अवधि में जाने वाले विद्यार्थी का ध्यान रखा जावे कि वो नियत समय पर लौट आया/आई है कि नहीं? शौचालय/मूत्रालय के दूर अवस्थिति होने की स्थिति में आने–जाने के दौरान विद्यार्थी पर दृष्टि रखी जानी चाहिये। आवश्यकतानुरूप छोटे विद्यार्थियों/बालिकाओं को यथा संभव लघुशंका हेतु अकेला नहीं भेजा जाये।

v. विद्यालयपरिसर में खेलने के दौरान विद्यार्थियों की गतिविधियों पर शिक्षकों की सामान्य दृष्टि हो।

vi. विद्यार्थी के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन दृष्टिगत होने पर उसे जानने का प्रयास करें तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्था प्रधान को सूचित करें। संस्था प्रधान आवश्यक होने पर अभिभावकों से बात करें अथवा मुलाकात करें।

vii. छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों का विशेष ध्यान रखा जाये। उनका बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ असामान्य रूप से/अधिक संगति करने पर भी पैनी दृष्टि रखी जानी चाहिये।

viii. लगातार अनुपस्थित रहने/देरी से आने/जल्दी जाने वाले विद्यार्थी के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की जाये। कई बार विद्यार्थी आवास से विद्यालय की ओर प्रस्थान कर जाता है, परन्तु विद्यालय नहीं पहुंचता है, इस प्रकार की परिस्थितियों में संस्था प्रधान को अवगत करवाते हुए कारण की गहनता से जांच करे।

➢ **अभिभावकों के दायित्व :–**

i. विद्यालय में बालक/बालिका का प्रवेश करवाने से पूर्व अभिभावक विद्यालय के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी यथा विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता/मूलभूत सुविधाएं/शैक्षिक–सहशैक्षिक प्रगति के सम्बन्ध में आवश्यक अवगति प्राप्त करें। प्रवेश दिलाने के साथ ही विद्यालय, संस्था प्रधान, कक्षाध्यापक, विषयाध्यापक, शारीरिक शिक्षक तथा मार्गदर्शक शिक्षक के दूरभाष नम्बर प्राप्त कर लेवें।

ii. अभिभावक का दायित्व है कि प्रत्येक अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठक में भाग लेकर बालक/बालिका के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से विमर्श करें।

iii. अभिभावक प्रत्येक दिवस पर विद्यार्थी की विद्यालय डायरी तथा गृहकार्य पुस्तिकओं को देखें और शिक्षक की टिप्पणी पर आवश्यक रूप से अपनी प्रतिक्रिया करें।

iv. प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि वह अपने बालक/बालिका के साथ नित्य कुछ समय व्यतीत करें, उनके असामान्य व्यवहार के कारणों को जानने का प्रयास करें। इस हेतु आवश्यकतानुसार विद्यालय में संस्था प्रधान एवं शिक्षकों से सम्पर्क करें।

v. अभिभावक को आवश्यक रूप से उनके बालक/बालिकाओं के मित्रों से परिचित होना चाहिए तथा बच्चों द्वारा विद्यालय के अतिरिक्त बिताये जाने वाले समय के स्थान एवं व्यक्तियों की जानकारी भी होनी चाहिये।

vi. विद्यार्थी जिस बाल वाहिनी/ऑटो से विद्यालय जाता है, उसकी तथा उसमें कार्य करने वाले चालक/परिचालक की जानकारी भी अभिभावक को होनी चाहिये।

vii. विद्यार्थी के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन दृष्टिगत होने पर उसे जानने का प्रयास करें तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्था प्रधान व शिक्षकों से सम्पर्क स्थापित करे।

viii. घर में बालक द्वारा ऑनलाईन शिक्षण हेतु उपयोग में लिये जा रहे कम्प्यूटर/ लेपटॉप/मोबाईल फोन और उसके उपयोग पर अभिभावक की सूक्ष्म निगरानी होनी चाहिये।

ix. अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को सलाह देने एवं उनकी समस्याओं पर उचित परामर्श देने हेतु सामाजिक संस्थाओं की मदद ली जायें।

❖ **शिकायत प्राप्त/घटना घटित होने पर की जाने वाली कार्यवाही :–**

पीईईओ/यूसीईईओ / संस्था प्रधान स्तर	सीबीईओ स्तर	सीडीईओ स्तर	संयुक्त निदेशक स्तर	निदेशालय स्तर
1. अनाचार की घटना की शिकायत/घटना घटित होने पर तत्काल दूरभाष पर उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगे।	1.शिकायत/ घटना के बारे में प्रथम दृष्टया सूचना सीडीईओ कार्यालय को तत्काल दूरभाष पर प्रेषित करेंगे।	1.सीबीईओ से शिकायत /घटना की सूचना प्राप्त होते ही अलर्ट मोड में जाकर उक्त की गंभीरता के अनुसार जिला व पुलिस प्रशासन को अवगत करवाएंगे तथा संबंधित संयुक्त निदेशक को दूरभाष पर सूचित करेंगे।	1.सीडीईओ से शिकायत/ घटना की सूचना प्राप्त होते ही अलर्ट मोड में जाकर उक्त की गंभीरता के अनुसार विभागीय/ कानूनी कार्यवाही का समुचित प्रबोधन करते हुए कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा निदेशालय को अवगत करवाएगे।	1. अनाचार की घटना की शिकायत/घटना घटित होने पर सीबीईओ/डीईओ/सीडीईओ/संयुक्त निदेशक से प्राप्त सूचना के आधार पर समुचित आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करेंगे तथा शासन को सूचित करेंगे।

2. विद्यालय स्तरीय समिति तत्काल संज्ञान लेकर इस शिकायत/घटना की जांच करेंगी तथा संस्था प्रधान को अवगत करवाएगी। संस्था प्रधान उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।	2.विद्यालय से प्राप्त शिकायत/घटना के आधार पर तत्काल विद्यालय पहुंचकर संस्था प्रधान द्वारा करणीय कार्यवाही संपादित करवाएंगे तथा तत्काल अपनी टिप्पणी अंकित कर सीडीईओ को प्रेषित करेंगे।	2.शिकायत/घटना के संबंध में उच्चाधिकारियों यथा– संयुक्त निदेशक तथा निदेशक महोदय को घटना/शिकायत के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मय अभिशंषा तत्काल प्रेषित करेंगे।	2.शिकायत/घटना के संबंध में निदेशक को घटना/शिकायत के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मय अभिशंषा तत्काल प्रेषित करेंगे।	2.संबंधित सक्षम अनुशासनिक अधिकारी से शिकायत/घटना के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मय अभिशंषा तत्काल प्राप्त कर कार्यवाही करेंगे।
3. शिकायत/घटना की गंभीरता के अनुरूप आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही संपादित करवाएगे यथा – पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना।	3.शिकायत/घटना की गंभीरता के अनुरूप यथोचित कानूनी कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।	3.शिकायत/घटना के संबंध में पुलिस प्रशासन/प्रशासन से सम्नवय स्थापित कर यथोचित कानूनी कार्यवाही को सुनिश्चित करवाएगे।	3.शिकायत/घटना का लगातार प्रबोधन करते हुए निदेशालय को अवगति प्रदान करवाएगे।	3.शिकायत/घटना की गंभीरता को देखते हुए अवगति तत्काल शासन को रिपोर्ट करेंगे।
4. शिकायत/घटना में किसी कार्मिक की शिकायत/संलिप्तता की संभावना होने पर उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगे।	4.शिकायत/घटना की गंभीरता को निर्धारित करते हुए यथोचित जांच कर मय अभिशंषा अपनी रिपोर्ट सीडीईओ को प्रेषित करेंगे।	4.शिकायत/घटना की सीबीईओ की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सक्षम अनुशासनात्मक अधिकारी को रिपोर्ट मय अनुशंषा प्रेषित करेंगे।	4.शिकायत/घटना के संबंध में यदि स्वयं सक्षम अनुशात्मक अधिकारी है तो तत्काल निर्णय करते हुए समुचित कार्यवाही करेंगे यदि सक्षम अनुशासनात्मक अधिकारी निदेशक है तो मय अभिशंषा रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।	4.शिकायत/घटना की गंभीरता को निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करेंगे।
5. अनाचार की घटना घटित होने पर यदि आप द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं किया जाता तथा घटना की सूचना समाचार पत्र व	5.प्रतिदिन समाचार पत्रों व अन्य संचार माध्यमों में यदि आपके क्षेत्राधीन विद्यालयों/कार्यालयों से शिकायत/घटना की सूचना प्राप्त	5.प्रतिदिन समाचार पत्रों व अन्य संचार माध्यमों में यदि आपके क्षेत्राधीन विद्यालयों/कार्यालयों से शिकायत/घटना की सूचना प्राप्त	5.प्रतिदिन समाचार पत्रों व अन्य संचार माध्यमों में यदि आपके क्षेत्राधीन विद्यालयों/कार्यालयों से शिकायत/घटना की सूचना प्राप्त होती है, तो	5.प्रतिदिन समाचार पत्रों व अन्य संचार माध्यमों से राज्य के किसी भी विद्यालय/कार्यालय से शिकायत/घटना की सूचना प्राप्त होती है, तो तत्काल सूचना नहीं

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

अन्य संचार माध्यम से प्राप्त होती है तो लापरवाही बरतने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संपादित की जाएगी।	होती है, तो तत्काल सूचना नहीं देने वाले अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे।	होती है, तो जिस स्तर से लापरवाही बरती गई है उस अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे।	जिस स्तर से लापरवाही बरती गई है उस अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करेंगे/करवाना सुनिश्चित करेंगे।	देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे।

शिकायत/घटना में विभागीय कार्मिक की संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित सक्षम अनुशासनिक अधिकारी के माध्यम से विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ अपचारी कार्मिक को एपीओ/निलम्बित करके मुख्यालय परिवर्तन पदस्थापन स्थान से दूरस्थ स्थान पर किये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त प्रकार की घटना के दुराव–छिपाव, विलम्ब, लापरवाही एवं गैर संवेदनशीलता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ जांच उपरान्त समुचित विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावे। सभी संबंधित उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे प्रयास एवं वातावरण तैयार किया जाए कि ऐसी घटनाएं घटित ही ना हो।

(काना राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–स/बाल संरक्षण (18)/2016/ 337 दिनांक : 09 .03.2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
05. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
06. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
07. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
08. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
09. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
11. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को ब्लॉक क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
13. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
14. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
16. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ/समस्त संस्था प्रधान राउमावि/रामावि/राउप्रावि/राप्रावि।
17. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
19. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department